IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

श्रीमद्भागवत पुराण में प्रतिबिम्बित नारी, उसके अधिकार तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी प्रासंगिकता

संतोष कुमार पाण्डेय
शोध छात्र,
प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जौनपुर (उ0प्र0)
सम्बद्ध : वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर (उ0प्र0)

एक पंख से चिड़िया नहीं उड़ सकती, एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना स्त्री के पुरुष कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। नर तथा नारी एक दूसरे के पूरक हैं इनका सम्बन्ध शाश्वत है। सृष्टि का आरम्भ स्त्री तथा पुरुष दोनों के आपसी गुणों के आधार पर माना गया। किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे की स्वतन्त्र कल्पना कर पाना संभव ही नहीं है। स्त्री प्रकृति का साक्षात् स्वरूप है, परमब्रह्म परमात्मा की अनुपम कृति है। पौराणिक साहित्य में नारी के विविध रूपों का वर्णन मिलता है। वह बचपन में पिता के घर पुत्री के रूप में, तरूण अवस्था में पति के घर पत्नी के रूप में तथा फिर माता के रूप में अपने पुत्रों के साथ जीवन का निर्वाह करते हुए विविध स्वरूपों को धारण करती है। वह प्रत्येक स्वरूप में पुरुष की सफलता में साधक ही रही है। भारतीय ग्रन्थों में स्त्री को पुरुष के साध्य की साधिका बताया गया है।[1]

किसी भी सभ्य समाज की उन्नति का उस समाज के स्त्रियों की स्थिति को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। पुरातन काल के गौरवमयी समाज का श्रेय स्त्रियों की उच्च स्थिति को दिया जा सकता है। पौराणिक साहित्य के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय समाज में नारी को प्रत्येक स्तर पर स्वतन्त्रता व समानता की भावना प्राप्त थी, उन्हें अत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। मनुस्मृति में स्पष्ट बताया गया कि– जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं।[2] महाभारत में माता का स्थान पिता से भी ऊँचा बताया गया है।[3] याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है कि– गुरु, आचार्य, उपाध्याय, ऋत्विज क्रमानुसार पूजनीय हैं परन्तु माता का स्थान इन सभी में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण वह सर्वाधिक पूजनीय है।[4] अथर्ववेद में कहा गया है कि पत्नी ही घर है, वह घर की साम्राज्ञी है, इसे घर के समस्त प्राणियों पर शासन करने का पूर्ण अधिकार है।[5] श्रीमद्भागवत पुराण में स्त्री को लज्जा, सेवा, त्याग, संयम, क्षमा, विनय, पवित्रता, स्नेह, धैर्य, ममत्व, आत्मविश्वास जैसे गुणों से परिपूर्ण बताया गया है।

पुराणों की संख्या मुख्य रूप से 18 है।[6] इन अष्टादश पुराणों में श्रीमद्भागवत पुराण हिन्दू धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें सृष्टि के आरम्भ से कलियुग अर्थात् सृष्टि के विनाश तक की कथा है।[7] यह वैष्णव धर्म से सम्बन्धित मुख्य ग्रन्थ है। इसमें वेद, उपनिषद, दर्शनशास्त्र के गूढ़ एवं रहस्यमयी विषयों को अत्यन्त सरलता के साथ वर्णित किया गया है। यदि इसे भारतीय संस्कृति एवं हिन्दू धर्म से सम्बन्धित विश्वकोष कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भागवत पुराण में 12 स्कन्ध हैं। इसमें 18000 श्लोक हैं तथा इसमें विष्णु के अवतारों का ही वर्णन है। इसकी रचना वेदव्यास जी ने नारदमुनि की प्रेरणा से की। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। ज्ञान, भक्ति तथा वैराग्य का यह महान ग्रन्थ है।[8] इसमें बार–बार कृष्ण के ईश्वरीय तथा अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। इसमें पुराणों के 10 लक्षण बताए गए हैं[9] (सर्ग–विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय) जबकि अधिकांश ग्रन्थों में पुराणों के 5 ही लक्षण बताए गए हैं।[10] भागवत पुराण का श्रवण करना प्रत्येक हिन्दू धर्मानुयायी के लिए अति आवश्यक है। चारों धाम की यात्रा कर इस पुराण का विधि सम्मत आयोजन कर श्रवण करना प्रत्येक हिन्दू का परम कर्त्तव्य है। श्रीमद्भागवत पुराण में नारी के निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन प्राप्त होता है–

शिक्षा का अधिकार :–

पौराणिक काल में नारी को सर्वांगीण विकास का पूर्ण अधिकार प्राप्त था जो शिक्षा के अभाव में संभव ही नहीं था। स्त्रियों की शिक्षा बालकों के ही समान होती थी, इस समय समाज लिंगभेद की भावना से मुक्त था। अथर्ववेद के अनुसार शिक्षा का प्रारम्भ होने से पूर्व कन्या का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार सम्पन्न होने के बाद स्त्रियों को वेदों के अध्ययन का अधिकार मिल जाता था। स्त्रियाँ भी गुरू के आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी। वे यज्ञोपवीत, मेखला तथा वल्कल वस्त्र भी धारण करती थी।[11] श्रीमद्भागवत पुराण से यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय समाज में स्त्रियाँ सुरक्षित तो थी ही साथ ही साथ वे अपनी रक्षा कर सकने में भी समर्थ थीं। कुछ स्त्रियाँ वेदों की प्रकाण्ड पण्डिता भी थी उदाहरण के लिए पाण्डवों की माता कुन्ती अथर्ववेद की पण्डिता थीं। इस समय की नारी कई अन्य विधाओं में भी निपुण थी उदाहरण के लिए बाणासुर की पुत्री की सखि योगसिद्धि विधा में निपुण थी।[12]

विवाह का अधिकार :–

प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया। यह 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार है। आज भी इसका महत्व बना हुआ है। विवाह ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन में प्रवेश की पहली सीढ़ी है। इसके महत्व को स्वीकार करते हुए ऋग्वेद में विवाह को सत्य तथा कर्त्तव्य पर प्रतिष्ठित बताया गया है।[13] पौराणिक ग्रन्थों में भी वैदिक परम्परा को कायम रखते हुए इसे पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है। इसमें नारी की इच्छा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। विवाह के समय कन्या तथा उसके माता–पिता की सहमति आवश्यक थी। विवाह के समय कन्या के माता–पिता कन्यादान करते थे जो कि अत्यन्त पुण्य व सौभाग्य का कार्य था।[14] इस समय समाज में स्त्रियों को स्वतन्त्र रूप से वर चुनने का भी अधिकार प्राप्त था उदाहरण के लिए शंकराचार्य ब्राह्मण थे, इनकी पुत्री देवयानी ने क्षत्रिय राजा ययाति के साथ विवाह किया।[15]

यज्ञ करने का अधिकार :–

भारतीय संस्कृति में धार्मिक दृष्टि से यज्ञ विशेष महत्व के रहे हैं। श्रीमदभागवत पुराण में जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय नारी को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। भागवत पुराण के अनुसार अग्निष्टोम नामक यज्ञ को पत्नी के साथ सम्पन्न करने पर ही पूर्ण माना जाता था। यह यज्ञ गृहस्थ जीवन में सम्पन्न किए जाने वाले पंचमहायज्ञों में शामिल था तथा प्रातःकालीन व सायंकालीन सम्पन्न किया जाता था।[16] भागवत पुराण में दो प्रकार के यज्ञ का उल्लेख मिलता है–[17]

(1) प्रकृति यज्ञ (2) विकृति यज्ञ।

इस समय ईश्वर की आराधना करने का अधिकार स्त्री एवं पुरुष दोनों को संयुक्त रूप से था। पुरुष बिना स्त्री के ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता था इसी कारण श्रीमद्भागवत पुराण में राजा अम्बरीष का अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का उल्लेख मिलता है।[18]

न्याय करने/न्यायिक निर्णय का अधिकार :–

पौराणिक समाज ने स्त्री को न्याय करने का भी अधिकार दिया, वे युद्ध कला–कौशल में निपुण होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर अपने पति के साथ युद्ध भूमि में भी जा सकती थी। श्रीमद्भागवत पुराण से पता चलता है कि– कौरवों तथा पाण्डवों के आपसी युद्ध में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी, तो इस घृणित अपराध से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध कर बदला लेने का निश्चय किया परन्तु द्रौपदी ने यह कहते हुए उन्हें रोक दिया कि– जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरू माता भी इसी तरह व्यथित हों।[19] अतः स्पष्ट है कि इस समय के समाज ने स्त्री को अन्तिम निर्णय/न्यायिक निर्णय लेने का अधिकार दिया।

सामाजिक अधिकार :–

पौराणिक समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण सामाजिक अधिकार प्राप्त था। वे माता, पुत्री, बहन एवं पत्नी के रूप में कई कार्य करती थी। पुराणकालीन समाज में स्त्री–पुरुष की सहधर्मिणी थी। वह परिवार में समस्त व्यवस्थाओं पर नियन्त्रण रखती थी। महाभारत के शान्तिपर्व में पत्नी के रूप में स्त्री के महत्व को व्यक्त करते हुए बताया गया कि– भार्या सदृश न कोई बन्धु है, न कोई धर्म संग्रह, न ही कोई सहायक है। महाभारत के ही आदिपर्व एवं वनपर्व में कहा गया कि पत्नी सदा आदर की पात्र है इसलिये उसे दारा कहा जाता है। इस समय स्त्री को साहित्य के साथ–साथ ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी यद्यपि इसका उद्देश्य धनोपार्जन करना नहीं था परन्तु आवश्यकता पड़ जाने पर इसके द्वारा धनोपार्जन भी कर सकती थी। श्रीमद्भागवत पुराण में त्रिव्रका का वर्णन है जो कंस के यहाँ चन्दन लगाने का कार्य करती थी।[20] पौराणिक समाज ने स्त्रियों को पुरुषों के समान मोक्ष प्राप्ति का भी अधिकार दिया श्री मद्भागवत पुराण से पता चलता है कि– जब पाण्डव भगवान श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक स्वर्गीय स्वजनों के तर्पण के लिए जाते हैं तब वे अपने साथ स्त्रियों को भी ले जाते हैं।[21]

निष्कर्ष :–

इस समय नारी को पुरुषों के समान ही सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक अधिकार प्राप्त थे। स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन यापन कर सकती थीं, उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त था। विवाह के अवसर पर स्त्रियों की सहमति तथा उनके माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी। समाज में पर्दा प्रथा नहीं था। इस युग में स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती थी, उनका उपनयन भी होता था। वे वेद–पुराणों के अध्ययन के अतिरिक्त विविध कलाओं की भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना जीवन निर्वाह भी कर सकती थीं। अपने पति के साथ युद्ध भूमि में भी जा सकती थीं तथा कभी–कभी न्यायकर्ता की भी भूमिका अदा कर सकती थीं। नारी के बिना यज्ञ तथा अन्य धार्मिक संस्कार न कर पाने के पीछे स्त्री सम्मान की ही भावना थीं। श्रीमद्भागवत पुराण से पता चलता है कि पुरुषवर्ग निश्चित रूप से स्त्री के लिए अत्यन्त श्रद्धा व आदर की भावना के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन करता था इसी कारण इस युग में नारी को पुरुषों के समान ही समस्त अधिकार प्राप्त हुए।

आधुनिक युग में महिलाओं के उत्थान व सुरक्षा के निमित्त विविध प्रकार के कानून बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए कुछ मौलिक अधिकार बनाए गए हैं ताकि वे सुरक्षित तथा गरिमामयी जीवन व्यतीत कर सकें। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के जीवन तथा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मानवाधिकार बनाए गए हैं तथा उनके अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साहित्य सामाजिक जीवन का दर्पण होता है। वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि प्राचीन काल के विविध तथ्यों का फिर से मूल्यांकन कर उनको व्यवहारिक रूप दिया जाए तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका महत्व व उपयोगिता भी समझा जाए। परिवर्तन संसार का नियम है, चूंकि सामाजिक मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। अतः प्राचीन साहित्य वर्तमान काल का निरूपण नहीं कर सकता है इसलिए अब आवश्यक है कि प्राचीन तथ्यों का समीक्षात्मक अध्ययन किया जाए ताकि उन प्राचीन धारणाओं को वर्तमान समय में उपयोगी बनाया जा सके।

सन्दर्भ सूची :–

1. नरस्य स्त्रीव साध्यसाधिका (यजु0भा0–11/10)
2. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मनुस्मृति अध्याय 3, श्लोक 56
3. तिवारी, शकुन्तला रानी, महाभारत में धर्म, पृ0 337
4. एकदेशमुध्याय ऋत्विग्यज्ञकृ दुच्चते।
   एते मान्या यथा पूर्वभेभ्यो माता गरियसी।
   याज्ञवल्कय स्मृति, अध्याय 2, श्लोक 34, 35, पृ0 16
5. अथर्ववेद 14/14
6. मत्स्य पु0 3/6/21–24, मत्स्य पु0 53/11–56
   मार्कण्डेय पु0 137/7–11, वायु पुराण 104/2–10
   भागवत पु0 12/13/4–8
7. ''गीताप्रोस डाट काम'' मूल से 23 जून 2010 को पुरालेखित अभिगमन तिथि 13 मई 2010
8. भट्टाचार्य, डॉ0 सिद्धेश्वर, फिलॉसफी आव श्रीमदभागवत् खण्ड (1) व (2)
   श्रीमद्भागवतमहापुराणम् श्री धरी एवं वंशीधरी सहित अनेक व्याख्याओं एवं हिन्दी अनुवाद से युक्त अनुपम विशालकाय ग्रन्थ (12) भागों में (आनलाइन पाठ व पी0डी0एफ0)
9. श्रीमद्भागवत पुराण 2.10.1–2
   श्रीमद्भागवत पुराण 12.7.9–10
10. पुराण विमर्श, पृ0 125
11. पुराकल्पो कुमारीणां मौञ्जीवन्धन मिष्यते।
    अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा।। अथर्ववेद 11/9/16
12. चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी।
    ययौ विहायसा राजन् द्वारकां कृष्ण पालिताम्।।
    (श्रीमद0/स्क010/अ0 62/2.22/पृ0 999)
13. ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके (ऋग्वेद 10/85/25)
14. सोऽनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्च्फाटम्।
    तस्मै गुणगणाढयाय ददौ तुल्यां प्रहर्षिताः।
    (श्रीमद–स्क0 3, अ0 222.2. पृ0 269)
15. तं वीरमाहौशनसी प्रेमनिर्भरया गिरा।
    राजस्त्वयतं ग्रहीतौ मे पणिः परपुञ्जय।।
    (स्क–9/अ0 18/पृ073)
16. ईजे च भगवन्त यज्ञकृतुरूपं कृतुभिरूच्चावचैः श्रद्धयाऽऽहृताग्िहोत्र दर्शपूर्णमासचातुर्मास्यपाशु सोमानां प्रकृति विकृति भिरनुसंवगं चातुहोत्र विधिमना। (भा0 5/7/5)
18. आरिराघायिषुः कृष्ण महिष्या तुल्यशील्या।

युक्तः सावल्सर वीरा दघारं द्वादशीव्रतय्।।
(श्रीमद/9/4/29/15)

19. उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयतं सती।
मुच्चतां मुच्चतामेष ब्राह्मणों नितरा गुरूः।।
(श्रीमद 1/7/43/71)

20. दास्यस्मयहं सुन्दर कंससम्मता त्रिवक्रनामा हमनुपद्रे कर्मणि।
मद्ववितं भोजपते रतिप्रियं, विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति
(श्रीमद/10/42/329)

21. अध ते सम्परेतानां स्वानामुदक मिच्छताम्।
दातुं सकृष्णा गगांयां पुरस्कृतयः ययुः स्त्रियः।
(श्रीमद0 1/8/72)